

॥ ओ३म् ॥

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार

(नैक से "A" ग्रेड प्राप्त एवं यू०जी०सी० एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

Gurukula kangri (Deemed to be University) Haridwar

(NAAC "A" Grade Accredited Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

सेवा में,

समन्वयक /संकायाध्यक्ष,

कन्या गुरुकुल परिसर हरिद्वार/देहरादून, प्राच्यविद्या/मानविकी/विज्ञान/जीव
विज्ञान/प्रौद्योगिकी/अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी/प्रबन्ध अध्ययन/आयुर्विज्ञान एवं
स्वास्थ्य/शिक्षा/योग एवं शारीरिक शिक्षा विभाग।

महोदया/महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी समान्य जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को सत्र 2021-22 के लिए प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों को सूचित करने का कष्ट करें। संकायाध्यक्ष तथा समन्वयक इस विषय का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी दशा में अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा दिव्यांग वर्ग के विद्यार्थी इस योजना में आवेदन न करें। छात्रवृत्ति आवेदन हेतु विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिसकी अन्तिम तिथि दिनांक 05.10.2021 है। किसी अन्य जानकारी व आवेदन करने की अन्तिम तिथि में परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी के लिए www.scholarship.up.nic.in का अवलोकन करें।

समन्वयक/संकायाध्यक्ष से अनुरोध किया जाता है कि विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों को अपने संकाय से तीन दिन के अन्दर एस०सी०-एस०टी० सैल में भिजवाने का कष्ट करें। जिससे विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों को निश्चित समयावधि में ऑनलाइन अग्रसारित किया जा सके।

नोट:- यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा माता के नाम का आय प्रमाण-पत्र दिया जाये तो उस छात्र/छात्रा से पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र या अन्य कारण का प्रमाण-पत्र अवश्य लें।


आयु सीमा -

समान्य वर्ग- 200000/-

एस०सी०-एस०टी०-250000/-

प्रतिलिपि:-

1. कुलसचिव कार्यालय (सूचनार्थ)
2. कुलपति कार्यालय (सूचनार्थ)
3. सम्पर्क अधिकारी (SC-ST CELL)
4. वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर।


21/09/2021

उपकुलसचिव
अनु०जा०एवंअनु०जनजा०प्रकोष्ठ